यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–149/2019 प्रार्थना पत्र
माधूनाथ पिता धन्नानाथ नाथ, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
---प्रार्थी

बनाम

श्री रतन पिता सुवा रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री भीमा पिता गोपाल रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री कनीराम पिता मकराम रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री लाखा पिता माधू रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–30.08.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व नियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पाबूनगर पटवार जागदरी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1157/1009 रकबा 1 बीघा 8 ा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते ब्जे कब्स्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये रगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3, 4 व 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 3, 4 व 5 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 4 व 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के दिनांक 30.8.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं। विपक्षी संख्या 2 रूद्व वकील प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 30.8.2019 को कार्यवाही ड्रॉप गयी।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे कास्त आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कास्त करते समय, फसल काटते समय ा बावत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे कास्त की ाजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के त स्वीकार किया जाकर कि ग्राम पाबूनगर पटवार हल्का जागदरी तहसील व जिला भीलवाड़ा में यत हाल आराजी नम्बर 1157/1009 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, रोईकंला को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर स प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में ायाया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner